झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस) संख्या 3517 वर्ष 2020

उमा देवी, उम्र लगभग 51 वर्ष, स्वर्गीय गोपाल महतो की पत्नी, ग्राम–तिलटंद, छोटानगरी, डाकघर–चंदोरे, थाना–तेतुलमारी, जिला–धनबाद।

... . याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, द्वारा अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, कार्यालय–धनबाद, डाकघर, थाना और जिला–धनबाद।
2. सचिव, झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कार्यालय–धनबाद, डाकघर, थाना और जिला–धनबाद।
3. लेखा अधिकारी, झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कार्यालय–धनबाद, डाकघर, थाना और जिला–धनबाद।

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्त्ता के लिए: सुश्री मधुलिका दास गुप्ता, अधिवक्ता

उत्तरदातगण के लिए: श्री महावीर प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता

02 / 22.01.2021 सुश्री मधुलिका दास गुप्ता, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री महावीर प्रसाद सिन्हा, उत्तरदाताओं–जे0एम0ए0डी0ए0 के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

इस रिट याचिका को कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया है। किसी भी पक्ष ने ऑडियो–वीडियो की किसी भी तकनीकी गड़बड़ी के बारे में शिकायत नहीं की है और उनकी सहमति से इस मामले को सुना गया है।

याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य बकाया जैसे वेतन, भविष्य निधि (जमा और गैर–जमा), भविष्य निधि, समूह बीमा की गैर–जमा राशि पर ब्याज के भुगतान, चक्रवृद्धि ब्याज, अर्जित अवकाश, मृत्यु उपरान्त ग्रेच्युटी, 01.04.2004 के प्रभाव से 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय का बकाया, 5वें और 6ठे संशोधित वेतन का बकाया, 7वें संशोधित वेतनमान का बकाया, सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना का लाभ, बकाया महंगाई भत्ता, अंतरिम सहायता का बकाया, क्षेत्रीय भत्ते का बकाया, पोशाक भत्ते का बकाया, ठहराव वृद्धि, अन्य लाभ, वैधानिक, क्षतिपूर्ति और उपरोक्त राशियों पर दंड ब्याज के भुगतान के लिये उत्तरदातागण को निर्देश देने के लिये रिट याचिका दायर किया है।

सुश्री मधुलिका दास गुप्ता, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करती हैं कि याचिकाकर्ता के पति झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत खलासी के रूप में काम कर रहा था जिनकी मृत्यु दिनांक 29.04.2019 को उनके सेवाकाल के दौरान हो गई। उन्होनें कहा कि कई अभ्यावेदन दिनांक 30.07.2019, 11.11.2019, 07.01.2020 और 03.03.2020 दायर किए गए हैं लेकिन कोई भुगतान नहीं किया गया है।

श्री महावीर प्रसाद सिन्हा, उत्तरदाता–जे0एम0ए0डी0ए0 के लिए विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता को नए अभ्यावेदन दायर करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है और जे0एम0ए0डी0ए0 याचिकाकर्ता के मामले को नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और इस संबंध में बनाई गई योजनाओं के अनुसार विचार करेगा।

तद्नुसार, याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह के भीतर सभी साख के साथ प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष नया अभ्यावेदन दायर करने के लिए निर्देशित किया जाता है। यदि इस तरह का अभ्यावेदन पूर्वोक्त अवधि के भीतर दायर किया जाता है, तो उसके बाद उत्तरदाता–जे0एम0ए0डी0ए0 नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और इस संबंध में बनाई गई योजनाओं के अनुसार आठ सप्ताह के भीतर निर्णय लेगा।

उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, इस रिट याचिका को निष्पादित किया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)